रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2006/श्रावण 26, 1928

No. 374] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2006/SRAVANA 26, 1928

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 26 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसा अधिक्रमण करने से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्तीय सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त कोई वित्तीय सलाहकार अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "स्थायी वित्त समिति" से अधिनियम की धारा 19क के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(ज) "व्यष्टि" से ऐसा कोई कारीगर या कोई अन्य कर्मकार अभिप्रेत है जो आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाला क्रियाकलाप करता है और जिसके लिए अनुदान और सहायिकीयां दी जाती है।

अध्याय-2

3. भौगोलिक परिक्षेत्र - अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में वर्णित देश के छह भौगोलिक परिक्षेत्र निम्नलिखित होंगे :

(i)	उत्तरी परिक्षेत्र	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब,राजस्थान राज्य,राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़;
(ii)	पूर्वोत्तर परिक्षेत्रः	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य;
(iii)	मध्य परिक्षेत्रः	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य;
(iv)	पूर्वी परिक्षेत्रः	बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम;
(v)	पश्चिमी परिक्षेत्रः	गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमण दीव और दादर और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र;
(vi)	दक्षिणी परिक्षेत्रः	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र;

4. आयोग के सदस्य क्या पूर्णकालिक या अंशकालिक होंगेः- अध्यक्ष को छोड़कर, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (खक) के अधीन नियुक्त सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे।

5. आकस्मिक रिक्तियांः- (1) जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है या उसको पद से हटा दिया जाता है तो सरकार राजपत्र में अधिसूचित द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया कोई सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान को वह भरता है, रिक्ति न होने की दशा में पद धारण करने का हकदार होता।

6. सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और भत्ते:-

(1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पदेन सदस्यों को छोड़कर, आयोग की निधियों से ऐसे वेतन या मानदेय और भत्ते जैसा सरकार समय-समय पर नियत करे, संदत्त किए जाएंगे।

(2) आयोग का अध्यक्ष, अन्य सदस्य (मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार को छोड़कर) और भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती जो उप प्रबंध निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, आयोग की बैठकों में हाजिरी के लिए या ऐसे कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, जैसे आयोग द्वारा, सरकार के श्रेणी-। के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय उच्चतम दर पर, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, उनको समनुदेशित किए जाएं, की गई यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों को लेने के भी हकदार होंगे।

(3) अध्यक्ष, मुम्बई में या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित हो सकेगा, किराए का संदाय किए बिना सुसज्जित निवास स्थान के लिए हकदार होगा। निवास स्थान को सुसज्जित करने का मापमान वह होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए।

(4) उपरोक्त उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) जो संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य है वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम,1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित भत्तों से भिन्न या यथास्थिति, उन भत्तों से भिन्न, यदि कोई हो, जिनको राज्य की विधान मंडल का कोई सदस्य राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी निरर्हता उपगत किए बिना प्राप्त कर सकेगा, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

7. नियुक्त करने की शक्ति- आयोग ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे, इस संबंध में सरकार के अनुदेशों के अनुसार, पदों के सृजन और रिक्तियों के भरने के संबंध में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित, नियुक्ति कर सकेगा।

8. आयोग का कार्यालय- आयोग का कार्यालय, मुम्बई में या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा सरकार समय-समय पर निदेश दे, अवस्थित होगा।

9. स्थायी वित्त समिति का गठन- (1) आयोग, निम्नलिखित स्थायी वित्त समितियों का किसी संकल्प द्वारा गठन करेगा:-

(i) स्थायी वित्त समिति (खादी)
(ii) स्थायी वित्त समिति (ग्रामोद्योग)
(iii) स्थायी वित्त समिति (साधारण और प्रकीर्ण)

(2) प्रत्येक समिति एक अध्यक्ष, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (खक) के अनुसार नियुक्त किए गए आयोग के सदस्यों में से तीन सदस्य, आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार से मिलकर बनेगी।

(3) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से, पदेन सदस्यों के सिवाय, चुना गया कोई सदस्य समिति की अध्यक्षता करेगा।

(4) प्रत्येक समिति,अपने सचिव के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त नियुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करते हुए, आयोग के अधिकारियों में से एक को नियुक्त करेगी।

अध्याय-3

अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां

10. अध्यक्ष की शक्तियां- (1) अध्यक्ष, आयोग के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष, ऐसे प्रत्यायोजन के अधीन, जैसे अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जा सके, निम्नलिखित करेगा:-

(क) आयोग की प्रस्तुत किए जाने वाले महत्वपूर्ण कागजपत्रों और मामलों को यथासाध्य प्रस्तुत कराएगा; और

(ख) आयोग के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पद्धति के लिए निदेश जारी करेगा।

11. आयोग के अधिवेशनों के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां- (1) अधिनियम में विनिर्दिष्ट कर्तव्य और शक्तियों के अतिरिक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी उसको, अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा समनुदेशित और प्रत्यायोजित की जाएं, जिनमें निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियां भी सम्मिलित हैं:

(i) अध्यक्ष और निदेश के अधीन आयोग के अधिवेशन बुलाना;
(ii) अध्यक्ष के निदेशों के अधीन प्रत्येक अधिवेशन के लिए कार्यसूची तैयार करना और उसको अधिवेशन की सूचना के साथ आयोग के प्रत्येक सदस्य को भेजना, और
(iii) आयोग के अधिवेशन का कार्यवृत्त रखना।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग के सदस्यों और उनके पते का अभिलेख रखेगा। यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह अपना नया पता मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचित करेगा; जो उसके पश्चात उसका नया पता अभिलेख में प्रविष्ट करेगा। किन्तु सदस्य अपना नया पता सूचित करने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेख वाला पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का पता समझा जाएगा।

12. आयोग के प्रशासन के संबंध में मुख्य कार्यकलाप अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां- आयोग के साधारण अधीक्षण, निदेश और प्रबंधन के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आयोग की सभी विवरणियां, रिपोर्टें और विवरणों को प्रस्तुत करने और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करने और शक्तियों के प्रयोग करने के लिए जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, उत्तरदायी होगा, अर्थात:-

(क) आयोग के सभी विभागों, स्थापनाओं, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के कार्य का समन्वय, अधीक्षण और नियंत्रण;

(ख) आयोग द्वारा लिए गए विनिश्चयो को कार्यान्वित करना;

(ग) आयोग के अंशदायी भविष्य निधि और/या सामान्य भविष्य निधि का प्रशासन करना;

(घ) बजट में आवश्यक उपबंधों और समय-समय पर आयोग द्वारा उसे और प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा के अधीन रहते हुए आयोग के कार्यकरण के लिए और अधिनियम के उद्देश्यों के अग्रसर करने में उपायों के निष्पादन के लिए आकस्मिक व्यय, आपूर्ति और सेवाओं तथा वस्तुओं के क्रय पर होने वाले व्यय की मंजूरी देना;

(ङ) वित्तीय सलाहकार के परामर्श से सहायता (अनुदान और ऋण दोनों) के लिए आवेदनों की परीक्षा करना और उन्हें मंजूरी के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना,

(च) आयोग द्वारा कार्यान्वित सरकार की सभी स्कीमों और आयोग द्वारा अनुमोदित स्कीमों की कालिक पुनर्विलोक करना या कराना और आयोग द्वारा विचार करने के पश्चात ऐसे पुनर्विलोकनों के निष्कर्षों और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की योजना की जानकारी सरकार को देना;

(छ) आयोग के विचारार्थ और निदेशार्थ वित्तीय सलाहकार और स्वयं अपने विचारों के साथ आंचलिक समितियों की रिपोर्टें और सिफारिशें प्राप्त करना और उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ज) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट, कार्यनिष्पादन बजट, परिणाम बजट और अन्य दस्तावेज तैयार करना या तैयार कराना और उन्हें आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करना तथा नियत तारीखों तक उन्हें आगे सरकार को प्रस्तुत करना; और

(झ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो उसे आयोग द्वारा समनुदेशित और प्रत्यायोजित की जाएं।

13. वित्तीय सलाहकार के कर्त्तव्य और शक्तियां- (1) अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वित्तीय सलाहकार आयोग के सभी वित्तीय मामलों का, जिनमें उसके बजट, लेखे और लेखापरीक्षा सम्मिलित है, प्रभारी होगा और वह निम्नलिखित कर्त्तव्यों और शक्तियों सहित ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो उसे आयोग द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं, अर्थात:-

2521 GI/06-2

(क) प्राप्तियों और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर आयोग को सलाह देना;

(ख) आयोग का वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट अनुमान तैयार करना या तैयार कराना; आयोग की प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखना या रखवाना, लेखे का विवरण तैयार करना या करवाना और आयोग की निधियों में से किए गए व्यय की आवश्यक आंतरिक लेखापरीक्षा करना या करवाना।

(2) वित्तीय सलाहकार का आयोग की निधियों से होने वाले व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव पर स्थायी वित्त समिति या आयोग द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने और अनुमोदन करने के पूर्व अपना विचार अभिलिखित करने का कर्त्तव्य और अधिकार होगा।

(3) वित्तीय सलाहकार का आयोग और स्थायी वित्त समिति को यह सलाह देने का कर्त्तव्य और प्राधिकार भी होगा कि सरकार की सामान्य वित्तीय नीति को प्रभावित करने वाले किसी विशेष विनिश्चय को विचारार्थ सरकार को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(4) वित्तीय सलाहकार आयोग की प्राप्ति और व्यय के लेखे ऐसे प्ररूप और रीति में जैसा, केंद्रीय सरकार समय-समय पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से निदेश दे, रखेगा या रखवाएगा।

(5) वित्तीय सलाहकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना तथा आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई सरकार की स्कीम अथवा आयोग की अपनी स्कीमों के प्रचालन से संबद्ध सभी मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुधारात्मक कार्रवाई पर अपनी सिफारिशों अथवा जैसा भी मामला हो आयोग के संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के साथ आयोग की जानकारी में लाना सुनिश्चित करेगा।

14. आंचलिक समिति के सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते- (1) आंचलिक समिति के सदस्यों की पदावधि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(1) में यथानिर्दिष्ट आयोग के कार्यकाल के प्रसाद पर्यन्त होगा।

(2) अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा(1) के खण्ड(च) में यथाविनिर्दिष्ट जब आंचलिक समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्यागपत्र में देता है अथवा पद से हटा दिया जाता है तब सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य तब तक पद धारित करेगा जब तक वह सदस्य, जिसका स्थान वह भरता है, रिक्ति नहीं होने पर पद धारित करने के लिए हकदार होता।

(3) अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा(1) के खण्ड(च) के यथा विनिर्दिष्ट आंचलिक समिति का कोई सदस्य आंचलिक समिति के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, जो आयोग के अध्यक्ष को पूर्व सूचना देते हुए उसे उसकी प्राप्ति के दस दिनों के भीतर सरकार को अग्रेषित करेगा। ऐसे सदस्य का पद उस तारीख, जिस दिन उसका त्याग पत्र राजपत्र में अधिसूचित किया गया है अथवा त्यागपत्र के पत्र की सरकार द्वारा प्राप्ति की तारीख से बीस दिनों की समाप्ति की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, से रिक्त होगी।

(4) (i) आयोग के सदस्य से भिन्न आंचलिक समिति का सदस्य कोई वेतन आहरित नहीं करेगा किन्तु उसे आयोग की निधियों से ऐसा मानदेय अथवा भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसे सरकार समय-समय पर नियत करे;

(ii) आंचलिक समिति के सदस्य समिति के अधिवेशनों में भाग लेने अथवा आंचलिक समिति अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा उन्हें सौंपे गए किसी कार्य के निर्वहन के लिए की गई यात्राओं के लिए अपनी हकदारी के अनुसार और अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के यथा विनिर्दिष्ट आंचलिक समिति के सदस्य के मामले में सरकार के श्रेणी-। अधिकारियों को स्वीकार्य निम्नतम दर पर आयोग की निधियों से यात्रा और दैनिक भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(5) आंचलिक समिति का अध्यक्ष-

(i) अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार समिति के उचित कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) सरकार और आयोग की स्कीमों और कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मामलों को जितना शीघ्र संभव हो समिति के समक्ष उसके अधिवेशन में प्रस्तुत कराना; और

(iii) अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा (4) के अधीन संबंधित समिति के प्रत्येक कार्य की उसकी सिफारिशों को आयोग की जानकारी में लाना।

अध्याय-IV

बोर्ड और उसका गठन

15. बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1.	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
3. से 4.	एक आंचलिक और आयोग का एक विशेषज्ञ सदस्य- द्विवार्षिक चक्रानुक्रम द्वारा	सदस्य
5.	सचिव, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा संयुक्त सचिव के रैंक वाला उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
7.	सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार अथवा इसके नामनिर्देशिती जिसका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
8.	सचिव (वित्तीय क्षेत्र) आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय अथवा इसके नामनिर्देशिती जिसका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
9.	लघु उद्योग विकास आयुक्त	सदस्य
10.	सलाहकार (ग्राम एवं लघु उद्यम), योजना आयोग	सदस्य

11.	हथकरघा विकास आयुक्त	सदस्य
12.	हस्तशिल्प विकास आयुक्त	सदस्य
13.	कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य
14.	महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
15.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।	सदस्य
16.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा इसके नामनिर्देशिती जिसका पद कार्यपालक निदेशक से कम न हो।	सदस्य
17.	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके नामनिर्देशिती जिसका पद उप प्रबंध निदेशक से कम न हो।	सदस्य
18.	महानिदेशक, लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद।	सदस्य
19 से 24	राज्य सरकारों के खादी एवं ग्रामोद्योगों के प्रभारी सचिव,, वार्षिक चक्रानुक्रम पर प्रत्येक क्षेत्र के एक।	सदस्य
25 से 30	राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के अध्यक्ष, वार्षिक चक्रानुक्रम पर प्रत्येक क्षेत्र के एक।	सदस्य
31 से 33	संबंधित सदनों द्वारा चुने गए तीन संसद सदस्य- दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से	सदस्य
34 से 39	खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में प्रचालित विख्यात संस्थानों के छह प्रतिनिधि।	सदस्य
40 से 41	सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के दो प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है।	सदस्य
42 से 47	छह खादी एवं ग्रामोद्योग विकास से संबंधित मामलों में जानकारी एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नामनिर्देशित होने वाले छह व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक	सदस्य
48.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ।	सदस्य
49.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
50.	वित्तीय सलाहकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।	सदस्य
51.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य सचिव

16. **बोर्ड के अधिवेशन**- (1)बोर्ड के अधिवेशन के लिए बोर्ड के अठारह सदस्यों की गणपूर्ति होगी।

(2) यदि बोर्ड के किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष ऐसे अधिवेशन को दूसरी तारीख तक स्थगित कर देगा और ऐसे स्थगित अधिवेशन के कार्य को स्थगित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना निपटाया जा सकेगा।

परन्तु स्थगित अधिवेशन की तारीख सात दिन से कम की निर्धारित नहीं की जाएगी और सभी सदस्यों को ऐसे स्थगित अधिवेशन की तारीख,समय और स्थान सूचित किया जाए।

17. **पदावधि**- (1) इसमें इसके पश्चात जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, आयोग के सदस्य से भिन्न, बोर्ड का सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जैसा राजपत्र में प्रकाशित उसकी नियुक्ति की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) सरकार, बोर्ड के किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी :

(क) यदि वह विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति पाया जाता है; अथवा

(ख) यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जा चुका है; अथवा

(ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; अथवा

(घ) यदि सरकार के विचार में वह अपने कर्त्तव्य पालन करने में असफल हुआ है अथवा असफल है जिससे उसका हटना आवश्यक होता है; अथवा

(ड.) यदि वह बोर्ड से छुट्टी लिए बगैर बोर्ड के क्रमिक तीन अधिवेशनों से स्वयं अनुपस्थित रहता है; अथवा

(च) यदि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी कम्पनी में (निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट से भिन्न) शेयरधारक को छोड़कर आयोग के लिए की गई कोई अवस्थिति संविदा अथवा किए जा रहे किसी कार्य में कोई वित्तीय हित रखता है

परन्तु जहां वह शेयरधारक है वहां वह सरकार को ऐसी कंपनी में उसके द्वारा धारित शेयरों की प्रकृत्ति और सीमा प्रकट करेगा।

18. **आकस्मिक रिक्तियां**- (1) जब बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है अथवा त्यागपत्र दे देता हे अथवा पद से हटा दिया जाता है तो सरकार उस रिक्ति को भरने हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए राजपत्र में अधिसूचना दे सकती है।

(2) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपनियम (1) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य उस अवधि के लिए पद धारित करेगा जिस सदस्य के स्थान को उससे भरा है, वह पद धारित करने के लिए हकदार होगा यदि रिक्ति नहीं हुई होती।

19. **सदस्यता नामावली**- (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम और उनके पतों का अभिलेख रखेगा अथवा रखवाएगा।

(2) यदि बोर्ड का कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अपना नया पता अधिसूचित करेगा जो उसके नए पते को दर्ज करेगा किन्तु यदि वह अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता हे तो शासकीय अभिलेख में पता सदस्यों के पतों के सभी प्रयोजनार्थ समझा जाएगा।

2521 GI/06-3

20. **त्यागपत्र**- आयोग के सदस्य से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा जो पत्र की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर सरकार को अग्रेषित करेगा। ऐसे सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिससे उसका त्यागपत्र राजपत्र में अधिसूचित होता है अथवा त्यागपत्र के पत्र की सरकार द्वारा प्राप्ति की तारीख से बीस दिनों की समाप्ति की तारीख पर इनमें जो भी पहले हो।

21. **मानदेय और भत्ते**- (1) आयोग के सदस्यों से भिन्न बोर्ड के सदस्यों को ऐसे मानदेय अथवा भत्तों का भुगतान जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित करे, आयोग की निधि से किया जाएगा।

(2) बोर्ड के ऐसे सदस्य सरकार के श्रेणी-I अधिकारियों को स्वीकार्य अधिकतम दर पर समय-समय पर बोर्ड अथवा आयोग द्वारा उन्हें सौंपे गए बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ अथवा बोर्ड के किसी कार्य निर्वहन के प्रयोजनार्थ निष्पादित यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों हेतु आयोग की निधियों से लेने के हकदार होंगे।

(3) उप नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड का कोई सदस्य जो संसद सदस्य अथवा विधायक है, वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम,1959 की धारा 2 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्रतिपूर्ति भत्ते से भिन्न, कोई पारिश्रमिक या यथास्थिति कोई भत्ते यदि हो का हकदार जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता की निरर्हता निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत किसी कानून के अधीन राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है जो ऐसी निर्रहता के बगैर प्राप्त करता है।

अध्याय-V

बजट, लेखा और लेखापरीक्षा

22. **वार्षिक प्राक्कलन तैयार और पेश करना**: (1) अप्रैल के प्रथम दिन से शुरू और 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग का बजट प्राक्कलन उपनियम(6) के अनुसार उपनियम (4) में निर्धारित तारीख से पर्याप्त पहले वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार किया जाएगा अथवा तैयार कराया जाएगा।

(2) ऐसे तैयार बजट प्राक्कलन की प्रति आयोग के अधिवेशन के कम से कम 14 दिन पहले आयोग के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी जिस पर ऐसे प्राक्कलन पर विचार कराना होता है।

(3) आयोग अधिवेशन में ठीक माने गए ऐसे बजट प्राक्कलनों के ऐसे परिवर्तनों पर वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विचार करेगा और अनुमोदन करेगा जिसके लिए आयोग के संकल्प द्वारा निर्धारित बजट अनुमानों पर विचार किया है।

(4) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलन सरकार को 15 अक्तूबर तक प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु सरकार आयोग द्वारा अनुरोध करने एवं पर्याप्त कारणों पर 15 दिन की ऐसी अवधि के बजट प्राक्कलन की प्रस्तुति की तारीख बढ़ा सकती है जैसा सरकार ठीक समझे।

(5) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे आदेशों के अध्ययधीन रहते हुए कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बजट यथास्थिति सरकार द्वारा एवं नियम-9 अथवा नियम 12 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यय मंजूर नहीं कर दिया जाता है।

(6) बजट में, अन्य मामलों के साथ निम्न लिखित भी सम्मिलित होंगे,-

(i) यथाशेष प्राक्कलन;
(ii) सरकार द्वारा जारी होने वाली निधियों के द्वारा प्राक्कलित प्राप्तियां, ब्याज वसूली, ऋण वापसी और अन्य विविध प्राप्तियां
(iii) अलग-अलग प्रस्तावित व्यय पृथक रूप में निम्नलिखित के अधीन है:-

(क) खादी उद्योग;
(ख) खादी उद्योग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी);
(ग) ब्याज सहायिकीयां-खादी;
(घ) ग्रामोद्योग;
(ङ) ग्रामोद्योग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी);
(च) ब्याज सहायिकीयां-ग्रामोद्योग;
(छ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम;
(ज) खादी ऋण;
(झ) ग्रामोद्योग ऋण;
(ञ) पारम्परिक उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए निधि की योजना;
(ट) प्रशासनिक व्यय; और
(ठ) ऐसे अन्य शीर्ष अथवा उपशीर्ष जैसा सरकार निदेशित करे।

23. **अनुपूरक प्राक्कलन**- यदि सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित बजट प्राक्कलन के वास्तविक संशोधन के किसी कारण के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सम्मिलित होने की संभावना है तो आयोग ऐसे प्ररूप में अनुपूरक प्राक्कलन सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और ऐसी तारीखों पर जैसे सरकार समय-समय पर आदेश दें।

24. **आयोग के लेखा**- आयोग का लेखा ऐसे प्ररूप और ऐसी पद्धति में रखा जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के परामर्श से समय-समय पर निदेश दे।

25. **लेखाओं की तैयारी और लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत करना**- प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तीन महीने के अंदर खादी एवं ग्रामोद्योग की निधि का वित्तीय परिणाम

दर्शाते हुए वार्षिक लेखा यथा आवश्यक ऐसे सहायक लेखा के साथ तैयार किया जाएगा वह ऐसे रूप में होगा जैसा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए और आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। लेखाओं को आयोग द्वारा उचित रूप से पारित एवं सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित कर सरकार तथा सामान्यतः अक्तूबर के अंत में नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु आयोग के अनुरोध पर सरकार नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा प्रस्तुत करने की तारीख ऐसी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है जैसा सरकार ठीक समझती है।

26. **अनुचित एवं अनियमित लेखा-** (1) लेखापरीक्षा अधिकारी अनुचित अथवा अनियमित किसी सामग्री के बारे में, जहां आवश्यक है, प्रत्येक विवरण के साथ आयोग और सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसकी लेखापरीक्षा अधिकारी आयोग के लेखा मे व्यय अथवा देय धन की वसूली का अवलोकन कर सकेंगे।

(2) आयोग तुरंत लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा उल्लिखित किसी भी दोष अथवा अनियमितता का समाधान करेगा और लेखापरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति के 90 दिन के अंदर की गई कारवाई की सरकार को रिपोर्ट करेगा परंतु यदि आयोग और लेखापरीक्षा अधिकारी के बीच विचारों में कोई भिन्नता है अथवा आयोग उपयुक्त अवधि के अंदर किसी दोष अथवा अनियमितता का समाधान नहीं करता है अथवा दोष अथवा अनियमितता के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देता है तो सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकती है तथा लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के परामर्श विशेष संदर्भ किया जाएगा जैसा वह ठीक समझे और आयोग सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय के अंदर उसके अनुरूप कारवाई करेगा।

27. **वार्षिक लेखा का प्रकाशन-** वार्षिक प्राप्ति और व्यय के विवरण का एक सार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और आयोग की सरकारी वेबसाइट पर डाला जाएगा।

28. **आयोग के निपटान पर निधियों की प्रस्तुति-** (1) आयोग से संबंधित बजट के बाद सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है और इसकी ओर से उचित विनियोजन के बाद इसको विधि अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत किया गया है। सरकार निम्नलिखित शीर्षों के अधीन आयोग के निपटान पर निधियां प्रस्तुत करेगी, अर्थात,-

(क) खादी उद्योग;
(ख) खादी उद्योग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी);
(ग) ब्याज सहायिकी-खादी;
(घ) ग्रामोद्योग,

(ङ) ग्रामोद्योग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी);
(च) ब्याज सहायिकी (ग्रामोद्योग);
(छ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम;
(ज) खादी ऋण;
(झ) ग्रामोद्योग ऋण;
(ञ) पारम्परिक उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए निधि की योजना;
(ट) प्रशासनिक व्यय।

अध्याय-VI

आयोग को देय धन की वसूली

29. भू राजस्व के बकाए के रूप में देय धन की वसूली के लिए प्रस्ताव का नोटिस- (1) जहां भी आयोग को किसी करार के अधीन कोई राशि भुगतान योग्य हो, जो कि व्यक्त या अंतर्निहित या अन्य किसी प्रकार से हो, वहां आयोग राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को उल्लिखित राशि अदा करने का निर्देश देते हुए एक नोटिस दे सकता है।

(2) जहां भी वह व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के तहत नोटिस दिया गया है, नोटिस में उल्लिखित राशि अदा करने के संबंध में कोई विवाद करता है, वह, नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर इस संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन दे सकेगा।

(3) अगर, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत उप-नियम (1) के अधीन नोटिस तामिल किया व्यक्ति न तो नोटिस में उल्लिखित राशि अदा करता है और न ही उप-नियम (2) के अधीन आयोग के समक्ष अभ्यावेदन देता है, आयोग उस कलक्टर को, जिसकी अधिकारिता में इसका कार्यालय अवस्थित हो, ऐसी कार्यवाही करने को कह सकेगा जो कि भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली के लिए आवश्यक हो।

(4) अगर, उप-नियम (3) के अधीन वसूली का आग्रह की गई किसी राशि की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपनाई गई कार्यवाहियों के क्रम में, कोई व्यक्ति उसके ऊपर देय राशि या राशि के किसी भाग को अदा करने से इंकार करता है, तो प्राधिकारी जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां लंबित हों, इस इंकार के संबंध में एक नोटिस आयोग को तुरन्त भेजेगा।

30. धारा 19-ख के अधीन किसी अधिकरण के गठन हेतु आग्रह तथा देयता से इंकार के प्रश्न को ऐसे अधिकरण को संदर्भित करना- (1) उप-नियम (2) के अधीन अभ्यावेदन या नियम 29 के उप-नियम (4) के अधीन एक नोटिस की प्राप्ति पर आयोग इस अभ्यावेदन या नोटिस, इनमें से जैसी भी स्थिति हो, को केंद्रीय सरकार को इस आग्रह के साथ भेज सकता है कि अभ्यावेदन में दर्ज किए गए या नोटिस में संदर्भित किए गए के अनुसार आयोग को देयता अदा करने से इंकार करने के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाए।

25215/02-4

(2) उप-नियम (1) के अधीन आग्रह की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार धारा 19ख के प्रावधानों के अनुसार एक अधिकरण का गठन कर सकेगा तथा ऐसे आग्रह में उल्लिखित प्रश्न को विनिश्चय के लिए अधिकरण को भेज सकेगा।

(3) इस प्रकार से गठित अधिकरण, जैसी वह उचित समझे, जांच करने के उपरांत तथा देयता से इंकार करने वाले व्यक्ति और आयोग को सुनने का उचित अवसर देने के उपरांत तथा ऐसे व्यक्ति और आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात, इस प्रश्न के संबंध में निर्णय ले सकता है कि क्या इस व्यक्ति द्वारा आयोग को कोई राशि देय है, और यदि ऐसा है, तो अधिकरण के गठन को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीन माह के भीतर देय होगा।

(4) अधिकरण के विनिश्चय की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित की जाएगी:

(क) आयोग को, जहां अधिकरण का विनिश्चय नियम 29 के उप-नियम (2) के अधीन किए गए अभ्यावेदन के संदर्भ में है, तथा यदि विनिश्चय यह घोषित करता हो कि आयोग को कोई राशि देय है, आयोग भू-राजस्व के अधिशेष के रूप में राशि की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकेगा;

(ख) प्राधिकारी जिसके द्वारा नोटिस जारी किया गया था, को विनिश्चय के अनुसार कार्यवाहियां पूरी करने के लिए, जहां अधिकरण का विनिश्चय नियम 29 के उप-नियम (4) के अधीन नोटिस में संदर्भित देयता के इंकार के संदर्भ में हो।

अध्याय-VII

प्रकीर्ण

31. **संविदाएं**- (1) आयोग, अपने व्यापार और अन्य गतिविधियों के संबंध में, संविदाएं कर सकेगा बशर्ते अनुमोदित बजट में इस हेतु प्रावधान किया गया हो।

(2) आयोग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्तीय सलाहकार या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करते हुए आयोग के अन्य किसी अधिकारी को ऐसी शक्तियों के संबंध में प्राधिकृत कर सकेगा जैसी वह इस निमित्त संविदाएं करने के लिए उचित समझे।

(3) आयोग की ओर से की गई कोई संविदा आयोग पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि वह उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा न की गई हो तथा आयोग की मुहर न लगी हो।

(4) आयोग की ओर से संविदाएं करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति उसकी ओर से किए गए किसी आश्वासन या संविदा के लिए दायी नहीं होगा; और ऐसे आश्वासन या संविदा के आधार पर उत्पन्न किसी भी दायित्व का वहन आयोग के धन से होगा।

32. अनुदान और सहायिकीयों की स्वीकृति की शक्ति (1) आयोग समय-समय पर प्रत्येक उद्योग के संदर्भ में सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों और दरों के अनुसार अनुदान और सहायिकीयों वितरित करेगा। सरकार, अपने स्वयं के निर्णय या आयोग की सिफारिश के आधार पर, पूर्व में अनुमोदित वित्तीय दरों और शर्तों में संशोधन कर सकेगी या उसे अतिक्रमण कर सकेगी।

(2) आयोग उस हद तक प्रत्येक मामलों में देय अनुदानों और सहायिकीयों की दरों को कम कर सकती है, जहां तक वह आवश्यक समझे परंतु वह सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय इन दरों को नहीं बढ़ाएगा।

(3) अनुदान और सहायिकीयां केवल निम्नलिखित को संदाय होगी:

(क) कोई राज्य सरकार;
(ख) कोई बोर्ड जिसका गठन खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए उस समय किसी विधि द्वारा किया गया हो;
(ग) कोई सोसायटी, जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत हो;
(घ) कोई सहकारी समिति, जो कि सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत हो;
(ङ) कोई ग्राम या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, निगम, जिला परिषद या तत्कालीन रूप से लागू राज्य विधि के अधीन गठित कोई समान निकाय;
(च) भू-दान या ग्राम दान से संबंधित तत्कालीन रूप से लागू किसी विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण;
(छ) सेवा या धार्मिक उद्देश्यों से सृजित कोई न्यास;
(ज) कोई व्यक्ति या संस्था जो कि खादी और ग्रामोद्योगों से संबंधित किसी अनुसंधान कार्य में लगी हो, बशर्ते कि अनुदान या सहायिकी किसी एक व्यक्ति के लिए 50,000 से अधिक और किसी एक संस्था के लिए 15,00,000 से अधिक नहीं होगी। व्यक्ति के लिए 50,000 या संस्था के लिए 15,00,000 की उच्चतम सीमा सरकार के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाई जा सकेगी;
(झ) अधिनियम की धारा-15 की व्याख्या में परिभाषित कोई विनिर्दिष्ट एजेंसी; और

IndiaCode

(ञ) कोई अन्य व्यक्ति, प्राधिकारी या निकाय जो कि अनुमोदित पैटर्न तथा आयोग द्वारा सरकार को बताए गए उच्चतम सीमा के अंतर्गत हो।

33. ऋण प्रदान की शक्ति (1) आयोग सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए खादी और ग्रामोद्योगों के लिए ऋण नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऋण प्रदान करेगा तथा यह समय-समय पर प्रत्येक उद्योग के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर और शर्तों के अनुसार होगा।

(2) आयोग ऋण नियमों के प्रावधान को संशोधित करने, सुधारने या अन्य किसी प्रकार से परिवर्तित करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

(3) सरकार अपने स्वयं के पहल द्वारा या आयोग की सिफारिश पर ऋण नियमों मे सुधार या संशोधन कर सकेगी। सुधार या संशोधन उस तारीख से मान्य होगा जिस तारीख से यह सरकार द्वारा किया गया है।

34. उधार लेने की शक्ति आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिनियम की धारा 21 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी निधियों या आस्तियों की जमानत पर ऋण ले सकेगी।

35. हानियों को बट्टे खाते डालने की शक्ति (1) आयोग, वित्तीय सलाहकार के साथ पूर्व परामर्श के उपरांत निम्नलिखित प्रवर्ग (क) के अधीन 20,000 रूपए तक की हानि और प्रवर्ग (ख) तथा (ग) के अधीन 10,000 रूपए बट्टे खाते में डाल सकता है-

(क) चोरी, कपट या उपेक्षा के कारण भंडार या सार्वजनिक धन की अवसूलीय हानि;
(ख) राजस्व या अवसूलीय ऋण या अग्रिमों की हानि; और
(ग) भंडार के मूल्य में कमियां या अवक्षयण।

(2) आयोग हानि के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है तथा हानि के लिए जिम्मेवार व्यक्ति, अगर कोई हो, के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है। 5,000 रूपए से अनधिक राशि की हानि वाले मामलों में सरकार को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई ऐसा मामला न हो जिसमें विस्तृत जांच और विचार की आवश्यकता हो।

अपवादः इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी गैर-वसूली योग्य ऋण द्वारा उल्लिखित हानियों के संबंध में लागू होगा। ऐसी हानियों को बट्टे खाते में डालने से पूर्व सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3) आयोग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, वित्तीय सलाहकार के साथ पूर्व परामर्श के अनुसार, उक्त उप-नियम (1) के अधीन

उल्लिखित एक या सभी प्रवर्गों में आने वाले प्रत्येक के विरूद्ध निम्न उल्लिखित राशि तक की हानियों को बट्टे खाते में डाल सकेगा-

(क)	आयोग	20,000 रूपए तक
(ख)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10,000 रूपए तक
(ग)	कोई अन्य अधिकारी, जो कि उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रैंक से कम न हो	5,000 रूपए तक

36. **सामान्य मुहर का रखा जाना**- आयोग की सामान्य मुहर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास रखी जाएगी।

अध्याय-VIII

सांख्यिकी, रिपोर्ट और विवरणियां

37. **रिपोर्टें**- पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन सरकार को सुपुर्द की जाने वाली आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को सुपुर्द की जाएगी और यह उस प्ररूप में होगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर निदेश दे।

38. **सावधिक विवरणियां**- आयोग सरकार को या विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी विवरणी जमा करेगा। विवरणी उस रूप में होगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर निदेश करे।

39. **पूरक रिपोर्ट या सूचना प्राप्त करने की शक्ति**- नियम 32 और 33 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार आयोग से विशेष रिपोर्ट मांग सकेगी तथा वह पद्धति तथा प्ररूप तय कर सकती है जिसमें ऐसी रिपोर्ट पेश की जाए तथा आयोग से ऐसे प्रश्नों का जवाब मांग सकेगी जिसके लिए सरकार को सूचना की आवश्यकता है। सरकार आयोग से, आयोग तथा किसी अन्य पार्टी के मध्य हुए प्रत्येक या किसी भी संविदा, संधि, समझौता या व्यवस्था से संबंधित सत्य प्रति देने के लिए कह सकेगी।

[फा. सं. 4(26)/केवीआई-I]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2006

G.S.R. 483(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) and in supersession of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

252145/06-5

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);
(b) "The Board" means the National Khadi and Village Industries Board constituted under section 10 of the Act;
(c) "Chairman" means the Chairman of the Commission;
(d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 4 of the Act;
(e) "Financial Adviser" means the Financial Adviser appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 4 of the Act;
(f) "Government" means the Central Government;
(g) "Standing Finance Committee" means a committee constituted under section 19A of the Act;
(h) "Individual" means an artisan or any other worker undertaking activities falling under purview of the commission and for which grants and subsidies are given.

CHAPTER II

3. **Geographical Zones.** - The six geographical zones of the country mentioned in clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act shall be as follows:

(i) Northern Zone	:	States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, National Capital Territory of Delhi and Union territory of Chandigarh;
(ii) North-Eastern Zone	:	States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram;
(iii) Central Zone	:	States of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttaranchal;
(iv) Eastern Zone	:	States of Bihar, Jharkhand, West Bengal and Sikkim;
(v) Western Zone	:	States of Gujarat, Maharashtra and Goa and Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli;
(vi) Southern Zone	:	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and Union territories of Pondicherry and Lakshadweep.

4. Members of the Commission, whether to be Full-time or Part-time.- Members appointed under clauses (a), (b) and (ba) of sub-section (2) of section 4 of the Act, except the Chairman, shall be part-time members.

5. Casual Vacancies.- (1) When a member dies or resigns or is removed from office, the Government may by notification in the Official Gazette, appoint a person to fill the vacancy.

(2) A member appointed to fill a casual vacancy shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

6. Salary or Honorarium and Allowances payable to Members.- (1) The Chairman and other members, excluding the ex-officio members, shall be paid such salary or honorarium and allowances from the funds of the Commission as the Government may from time to time fix.

(2) The Chairman, other members of the Commission (excluding the Chief Executive Officer and the Financial Adviser) and the Chairman of the State Bank of India or his nominee not below the rank of the Deputy Managing Director shall also be entitled to draw travelling and daily allowances for journeys performed for attending the meetings of the Commission or for the purpose of discharging such duties as may be assigned to them by the Commission, in accordance with the rules and orders issued by the Government from time to time at the highest rate admissible to Grade, I officers of the Government.

(3) The Chairman shall be entitled to a rent-free furnished residence at Mumbai or such other place where the office of the Commission may be located. The scale of furnishing the residence shall be as fixed by the Government from time to time.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3) above, the Chairman or any other member of the Commission (excluding the ex-officio members), who is a member of Parliament or of the State Legislature, shall not be entitled to any remuneration other than the allowances as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.

7. Power to Appoint.- The Commission may appoint officers and other employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions, with prior approval of the Central Government regarding creation of posts and filling of vacancies, in accordance with the Government instructions in this regard.

8. Office of the Commission.- The office of the Commission shall be located at Mumbai or such other place as the Government may from time to time direct.

9. Constitution of Standing Finance Committee.- (1) The Commission shall constitute, by a resolution, the following Standing Finance Committees:

(i) Standing Finance Committee (Khadi)
(ii) Standing Finance Committee (Village Industries)
(iii) Standing Finance Committee (General and Miscellaneous)

(2) Each Committee shall consist of a Chairman, three members from among the members of the Commission appointed in accordance with clauses (a), (b) and (ba) of sub-section (2) of section 4 of the Act, the Chief Executive Officer and the Financial Adviser of the Commission.

(3) The Chairman or, in his absence, any member chosen by the members present, from among themselves, excepting the ex-officio members, shall preside over the meetings of the Committee.

(4) Each Committee shall, taking into account the recommendation of the Chief Executive Officer in this behalf, appoint one of the officers of the Commission to perform the duties of its Secretary.

CHAPTER III

POWERS OF THE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

10. Powers of the Chairman.- (1) The Chairman shall preside over the meetings of the Commission.

(2) Subject to such delegation, as may be made under the Act or the rules made thereunder, the Chairman shall, -

(a) cause the important papers and matters to be presented to the Commission as early as practicable; and
(b) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Commission.

11. Duties and Powers of the Chief Executive Officer in regard to Meetings of the Commission.- (1) In addition to the duties and powers specified in the Act, the Chief Executive Officer shall discharge such duties and exercise such powers as may be assigned and delegated to him by the Commission for the purposes of the Act and these rules, including the following duties and powers:

(i) convening of meetings of the Commission under the direction of the Chairman;
(ii) drawing up agenda for each meeting under the Chairman's directions and supplying the same to each member of the Commission along with the notice of the meeting; and
(iii) maintenance of the minutes of the meeting of the Commission

(2) The Chief Executive Officer shall keep a record of the members of the Commission and their addresses. If a member changes his address, he shall communicate his new address to the Chief Executive Officer who shall thereupon enter his new address in the record. If the member fails to communicate his new address, the address on the official record shall for all purposes be deemed to be the member's address.

12. Duties and Powers of the Chief Executive Officer in regard to Administration of the Commission.- Subject to the general superintendence, direction and management of the Commission, the Chief Executive Officer shall be responsible for the furnishing of all returns, reports and statements of the Commission, as required to be furnished to the Government under section 24 of the Act, and discharging the duties and exercising the powers, including the following, namely, -

(a) to co-ordinate, supervise and control the work of all departments, establishments, officers and staff of the Commission;

(b) to implement the decisions taken by the Commission;

(c) to administer the Contributory Provident Fund and/or General Provident Fund of the Commission;

(d) to sanction expenditure on contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the Commission and for execution of measures in furtherance of the objects of the Act, subject to necessary provisions in the budget and to the extent of powers further delegated to him by the Commission from time to time;

(e) to examine, in consultation with the Financial Adviser, applications for assistance (both grants and loans) and place them before the Commission for sanction;

(f) to conduct or cause to be conducted periodical reviews of all schemes of the Government implemented by the Commission and of the schemes approved by the Commission and bring to the notice of the Government, after consideration by the Commission, the findings of such reviews and the plan of corrective action, where necessary;

(g) to receive and place before the Commission the reports and recommendations of the Zonal Committees, along with the observations of the Financial Adviser and his own observations thereon, for consideration and directions of the Commission;

(h) to prepare or cause to be prepared the Annual Report, Performance Budget, Outcome Budget and other documents, as specified by the Government from time to time, and place them before the Commission for its consideration and further to submit them to the Government by the due dates; and

(i) to discharge such other duties and exercise such other powers as may be assigned to and delegated to him by the Commission.

13. Duties and Powers of the Financial Adviser.- (1) Subject to the provisions of section 5(A) of the Act, the Financial Adviser shall be in charge of all financial matters of the Commission, including its budget, accounts and audit and shall discharge such other duties and exercise such other powers as may be delegated to him by the Commission, including the following duties and powers, namely, -

2521/2706-6

(a) to advise the Commission on all matters relating to receipts and expenditure; and

(b) to frame or cause to be framed the annual budget and the supplementary budget estimates of the Commission, maintain or cause to be maintained an account of receipts and expenditure of the Commission, prepare or cause to be prepared statements of accounts and conduct or cause to be conducted necessary internal audit of the expenditure made out of the funds of the Commission.

(2) The Financial Adviser shall have the duty and the right to record his views on every proposal involving expenditure from the funds of the Commission prior to the consideration and approval of such proposal by the Standing Finance Committee or by the Commission.

(3) The Financial Adviser shall also have the duty and the authority to advise the Commission and Standing Finance Committees that a particular decision affecting the general financial policy of the Government should be referred to the Government for consideration.

(4) The Financial Adviser shall maintain or cause to be maintained the account of the receipt and expenditure of the Commission in such forms and in such manner as the Central Government may direct from time to time in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(5) The Financial Adviser shall ensure placement, through the Chief Executive Officer, of audit reports of the Comptroller and Auditor General of India before the Commission and follow-up action thereon and bringing to the notice of the Commission all major audit findings relating to operation of the schemes of the Government implemented by the Commission or the Commission's own schemes, along with his recommendations on corrective action or, as the case may be, compliance reports by the departments concerned of the Commission.

14. Term of office, salary and allowances of the members of the Zonal Committee.- (1) The term of office of the members of the Zonal Committee shall be co-terminus with the term of the Commission as specified in sub-section (1) of section 13 of the Act.

(2) When any member of the Zonal Committee, as specified in clause (f) of sub-section (1) of section 12A of the Act, dies or resigns or is removed from the office, the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to fill the vacancy and a member appointed to fill such a casual vacancy shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

(3) A member of the Zonal Committee as specified in clause (f) of sub-section (1) of section 12 A of the Act may resign from his office by a letter addressed to Government through the Chairman of the Zonal Committee who shall, with prior information to the Chairman of the Commission, forward it to the Government within ten days of its receipt. The office of such member shall fall vacant from the date on which

his resignation is notified in the Official Gazette or on the date of expiry of twenty days from the date of receipt by the Government of the letter of resignation, whichever is earlier.

(4) (i) The member of the Zonal Committee other than the member of the Commission shall not draw any salary but shall be paid such honoraria or allowances from the funds of the Commission as may be fixed by the Government from time to time;

(ii) Members of the Zonal Committee shall be entitled to draw, from the funds of the Commission, travelling and daily allowances for journeys performed by them for the purpose of attending the meetings of the Committee or for the purpose of discharging any function of the Committee assigned to them by the Zonal Committee or the Commission from time to time according to their entitlement and, in case of members of the Zonal Committee as specified in clause (f) of sub-section (1) of section 12A of the Act, at the lowest rate admissible to Grade I officers of the Government.

(5) The Chairman of the Zonal Committee shall, –

(i) be responsible for proper functioning of the Committee in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 12 A of the Act;

(ii) cause important documents and matters relating to the schemes and programmes of the Government and the Commission to be placed before the Committee at its meetings as early as possible; and

(iii) bring to the notice of the Commission the recommendations of the Committee concerning each of its functions under sub-section (4) of section 12 A of the Act.

CHAPTER IV

THE BOARD AND ITS CONSTITUTION

15. The Board shall consist of:

1	Minister of Agro and Rural Industries.	Chairman
2	Chairman, Khadi and Village Industries Commission.	Member
3 to 4	One zonal and one expert member of the Commission - by bi-annual rotation.	Member
5	Secretary, Ministry of Agro and Rural Industries.	Member
6	Secretary, Ministry of Rural Development or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Member

7	Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Member
8	Secretary (Financial Sector), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Member
9	Development Commissioner for Small Scale Industries.	Member
10	Adviser (Village and Small Enterprises), Planning Commission.	Member
11	Development Commissioner for Handlooms.	Member
12	Development Commissioner for Handicrafts.	Member
13	Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad.	Member
14	Director General, National Institute of Fashion Technology, New Delhi.	Member
15	Chairman and Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI).	Member
16.	Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development or his nominee not below the rank of Executive Director.	Member
17.	Chairman, State Bank of India or his nominee not below the rank of a Deputy Managing Director.	Member
18.	Director General, Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology.	Member
19. to 24.	Secretaries in-charge of Khadi and Village Industries of State Governments, one from each zone by annual rotation.	Member
25 to 30	Chairpersons of State Khadi and Village Industries Boards, one from each zone by annual rotation.	Member

IndiaCode

31 to 33	Three Members of Parliament – two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha, to be elected by the respective Houses.	Member
34 to 39	Six representatives of reputed institutions o[illegible]ting in the field of khadi and village ind[illegible]s.	Member
40 to 41	Two representatives of micro finance institutions (MFIs) that are represented nationally and are working in rural areas.	Member
42 to 47	Six persons, one from each zone, to be nominated by the Government from among persons having knowledge and experience in matters relating to the development of khadi and village industries.	Member
48	Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Agro and Rural Industries.	Member
49	Joint Secretary, Ministry of Agro and Rural Industry.	Member
50	Financial Adviser, Khadi and Village Industries Commission.	Member
51	Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission.	Member-Secretary

16. Meetings of the Board.- (1) Eighteen members of the Board shall form a quorum for a meeting of the Board.

(2) If at any meeting of the Board there is no quorum, the Chairman at such meeting shall adjourn the meeting to another date, and the business at such an adjourned meeting may be disposed of irrespective of the number of members attending the adjourned meeting.

Provided that the adjourned meeting shall be fixed for a date not less than seven days later and that all the members are informed of the date, time and place of such adjourned meeting.

17. Term of Office.- (1) Save as hereinafter provided, a member of the Board, other than a member of the Commission shall hold office for such period not exceeding three years as may be specified in the notification of his appointment published in the Official Gazette and shall be eligible for re-appointment.

(2) The Government may remove from office any such member of the Board:

2521 GI/06-7

IndiaCode

(a) if he is found to be a lunatic or a person of unsound mind; or

(b) if he has been adjudged insolvent; or

(c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(d) if, in the opinion of the Government, he has failed or is unable to carry out his duties, so as to render his removal necessary; or

(e) if he absents himself from three consecutive meetings of the Board without leave of the Board; or

(f) if he has any financial interest in any subsisting contract made with or in any work being done for the Commission except as shareholder (other than a Director or Managing Agent) in a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956;

Provided that where he is a shareholder, he will disclose to the Government the nature and extent of shares held by him in such a company.

18. Casual Vacancies.- (1) When any such member of the Board dies or resigns or is removed from office, the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to fill the vacancy.

(2) A member appointed under sub-rule (1) to fill a casual vacancy shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

19. Membership roll.- (1) The Chief Executive Officer shall keep or cause to be kept a record of the names of the members of the Board and their addresses.

(2) If a member of the Board changes his address, he shall notify his new address to the Chief Executive Officer who shall thereupon enter his new address, but if he fails to notify his new address, the address in the official record shall for all purposes be deemed to be the member's address.

20. Resignation.- A member of the Board other than a member of the Commission may resign his office by a letter addressed to the Government through the Chairman of the Commission who shall forward it to the government within ten days of its receipt. The office of such member shall fall vacant from the date on which his resignation is notified in the Official Gazette or on the date of expiry of twenty days from the date of receipt by the Government of the letter of resignation whichever is earlier.

21. Honorarium and Allowances.- (1) The members of the Board, other than members of the Commission, shall be paid such honoraria or allowances from the funds of the Commission as the Government may from time to time fix.

(2) Such members of the Board shall be entitled to draw from the funds of the Commission, travelling and daily allowances for journeys performed by them for the purpose of attending the meetings of the Board or for the purpose of discharging any functions of the Board assigned to them by the Board or the Commission from time to time, at the highest rate admissible to Grade I officers of the Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a member of the Board who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.

CHAPTER V

BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

22. Preparation and submission of annual estimates.- (1) The budget estimates of the Commission for every financial year beginning on the 1st day of April and ending on 31st day of March following shall be prepared or caused to be prepared by the Financial Adviser sufficiently in advance of the date fixed in sub-rule (4)in accordance with sub-rule (6).

(2) A copy of the budget estimates so prepared shall be sent to each member of the Commission at least fourteen days before the meeting of the Commission at which such estimates are to be considered.

(3) The Commission shall consider and approve, in consultation with the Financial Adviser, the budget estimates with such changes as it things fit at the meeting to which the consideration of the budget estimates fixed by a resolution of the Commission.

(4) The budget estimates as approved by the Commission shall be submitted to the Government by the 15th of October:

Provided that the Government may, on the request of and for sufficient reasons reported by the Commission, extend the date of submission of the budget estimates by such period not exceeding fifteen days as the Government may think fit.

(5) Subject to such orders as may be issued by the Government from time to time, no expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Government and expenditure authorised by the authority mentioned in rule 9 or, as the case may be, rule 12.

(6) The budget shall, among other matters, include,-

(i) the estimated opening balance;

(ii) the estimated receipts by way of funds to be released by the Government, recovery of interest, refund of loans and other miscellaneous receipts;

(iii) the proposed expenditure separately under:

(a) Khadi Industries;
(b) Khadi Industries (Science and Technology);
(c) Interest Subsidies – Khadi;
(d) Village Industries;
(e) Village Industries (Science and Technology);
(f) Interest Subsidies – Village Industries;
(g) Rural Employment Generation Programme;
(h) Khadi Loan;
(i) Village Industries Loan;
(j) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries;
(k) Administrative Expenses; and
(l) Such other heads or sub-heads as the Government may direct.

23. Supplementary estimates.- If during any financial year, for any reason, substantial modification of the budget estimates as finally approved by Government is likely to be involved, the Commission shall submit for approval to the Government supplementary estimates in such form and on such dates as the Government may by order from time to time direct.

24. Accounts of the Commission.- The accounts of the Commission shall be maintained in such forms and in such manner as the Central Government may direct from time to time in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

25. Preparation of accounts and their production before audit.- Within three months after the end of each financial year the annual accounts showing the financial results of the Khadi Fund and Village Industries Fund shall be prepared with such subsidiary accounts as may be necessary and in such forms as may be prescribed by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India and placed before the Commission. These accounts authenticated by affixing the common seal and duly passed by the Commission shall be submitted to the Government and the audit officer appointed by the Comptroller and Auditor-General, normally by the end of October.

Provided that, on the request of the Commission the Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General, extend the date of submission of the accounts by such period as the Government may think fit.

26. Impropriety and Irregularity in Accounts.- (1) The Audit Officer shall furnish the Commission and the Government with a statement each, where necessary, in regard to any material impropriety or irregularity which the Audit Officer may observe in the expenditure or in the recovery of moneys due to, or in the accounts of the Commission.

(2) The Commission shall forthwith remedy any defect or irregularity that may be pointed out by the Audit Officer and shall report to the Government the action taken by it thereon within ninety days of the receipt of the report of the Audit Officer provided that if there is any difference of opinion between the Commission and the Audit Officer or if the Commission does not remedy any defect or regularity, within a reasonable period or render a satisfactory explanation in regard to the defect or irregularity, the Government may, and on reference specifically made therefor by the Audit Officer shall, in consultation with the Comptroller and Auditor General pass such orders thereon as it

things fit and the Commission shall thereafter take action in accordance therewith within such time as may be specified by the Government.

27. Publication of annual accounts.- An abstract statement of annual receipts and expenditure shall be published in the Gazette of India and on the official website of the Commission.

28. Placing the funds at the disposal of the Commission.- (1) After the budget relating to the Commission has been approved by the Government, and after due appropriation has been made by Parliament by law in this behalf, the Government will place the funds at the disposal of the Commission under the following heads, namely,-

(a) Khadi Industries;
(b) Khadi Industries (Science and Technology);
(c) Interest Subsidies – Khadi;
(d) Village Industries;
(e) Village Industries (Science and Technology);
(f) Interest Subsidies – Village Industries;
(g) Rural Employment Generation Programme;
(h) Khadi Loan;
(i) Village Industries Loan;
(j) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries; and
(k) Administrative Expenses.

IndiaCode

CHAPTER VI

RECOVERY OF MONIES DUE TO THE COMMISSION

29. Notice of proposal for recovery of monies due as arrears of land revenue.- (1) Where any sum is payable to the Commission under any agreement, express or implied, or otherwise howsoever, the Commission may cause a notice to be served on the person liable to pay the sum directing him to pay the sum stated therein.

(2) Where the person on whom a notice is served under sub-rule (1) disputes his liability to pay the sum stated in the notice, he may, within thirty days of the receipts of the notice make a representation to that effect to the Commission.

(3) If, within the period referred to in sub-rule (2) the person on whom a notice is served under sub-rule (1) neither pays the sum stated in the notice nor makes representation to the Commission under sub-rule (2), the Commission may request the Collector within whose jurisdiction its office is situated to take such action as may be necessary for recovering the sum as arrears of land revenue.

(4) If in the course of proceedings taken against a person for recovery of any sum requested to be recovered under sub-rule (3), such person denies his liability to pay the sum or any part thereof, the authority before which such proceedings are pending shall forthwith send a notice of such denial to the Commission.

2521 GI/06-8

30. Request for constitution of a Tribunal under section 19-B and for reference of question as a denial of liability to such Tribunal.- (1) On receipt of a representation under sub-rule (2) or a notice under sub-rule (4), of rule 29, the Commission shall forward a copy of such representation or, as the case may be, of the notice to the Central Government with a request that a Tribunal may be constituted for determining the question as to denial of liability to pay to the Commission as made in such representation or referred to in such notice.

(2) On receipt of a request under sub-rule (1) the Central Government may constitute a Tribunal in accordance with the provisions of section 19B of the Act and refer the question mentioned in such request to the Tribunal for decision.

(3) The Tribunal so constituted shall, after making such inquiry as it may deem fit and after giving to the person denying liability and the Commission a reasonable opportunity of being heard and after considering such evidence as may be produced by such person and the Commission, decide the question whether and, if so, what sum is payable by such person to the Commission within three months from the date of publication in the Official Gazette of the notification, notifying the constitution of the Tribunal.

(4) A copy of the decision of the Tribunal shall be forwarded to:

(a) the Commission, where the decision of the Tribunal is in respect of a representation made under sub-rule (2) of rule 29, and if the decision declares any sum as payable to the Commission, the Commission may take action for having the sum recovered as an arrear of land revenue;

(b) the authority by which such notice was issued, where the decision of the Tribunal is in respect of denial of liability referred to in a notice under sub-rule (4) of rule 29, for disposal of the proceedings concerned in accordance with such decision.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

31. Contracts.- (1) The Commission may, in connection with its trading and other activities, enter into contracts provided provision therefor exists in the sanctioned budget.

(2) The Commission may authorise the Chief Executive Officer, the Financial Adviser or taking into account the recommendation of the Chief Executive Officer in this behalf any other officer of the Commission, such powers of entering into contracts on its behalf as it may think fit.

(3) Contracts made on behalf of the Commission shall not be binding on the Commission unless they are executed by a person authorised under sub-rule (2) to enter into them and the seal of the Commission is affixed thereto.

(4) Any person authorized under sub-rule (2) to enter into contracts on behalf of the Commission shall not be liable for any assurance or contract made on its behalf: and any liabilities arising out of such assurance or contract shall be discharged from the moneys at the disposal of the Commission.

32. Power to sanction grants and subsidies.- (1) The Commission shall disburse grants and subsidies in accordance with and at rates and on terms sanctioned by the Government in respect of each industry, from time to time. The Government may, on its own motion or on the recommendation of the Commission, modify or supersede the financial rates and terms previously sanctioned.

(2) The Commission may reduce the rates at which grants and subsidies are payable in individual cases to such extent, as it thinks necessary, but shall not enhance such rates except with the prior approval of the Government.

(3) Grants and subsidies shall be paid only to:

(a) a State Government;
(b) a Board established under any law for the time being in force for the development of khadi and village industries;
(c) a society registered under the Societies Reglstration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any State;
(d) a Co-operative Society registered under the Co-operative Societies Act 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State;
(e) a gram or village panchayat, a panchayat samiti, a municipality, a zilla parishad or any similar body established under any State law for the time being in force;
(f) an authority set up under any law for the time being in force relating to bhoodan or gramdan;
(g) a trust created for purposes of a charitable or religious nature;
(h) an individual or institution engaged in research in khadi and village industries, subject to the condition that a grant or subsidy to an individual should not exceed Rs.50, 000 in any one case and to an institution, it should not exceed Rs.15,00,000 in any one case. The ceiling of Rs.50,000 for an individual and Rs.15,00,000 for an institution may, however, be exceeded with prior approval of Government;
(i) a specified agency as defined in the Explanation to section 15 of the Act; and
(j) any other individual, authority or body, in accordance with the approved pattern and within the ceilings communicated by the Commission to Government.

33. Power to grant loans.- (1) The Commission shall grant loans in accordance with the provisions of the loan rules for khadi and village industries made by the Government from time to time, and in accordance with and at rates and on terms sanctioned by the Government in respect of each industry from time to time.

(2) The Commission shall not be competent to modify, amend or otherwise vary the provision of the loan rules.

(3) The Government may, on its own initiative or on the recommendation of the Commission, modify or amend the loan rules. The modification or amendment will have effect from the date it is made by the Government.

34. Power to borrow.- The Commission may, with the previous sanction of the Government, borrow on the security of its funds or assets for the purposes specified in section 21 of the Act.

35. Power to write off losses.- (1) The Commission may, after prior consultation with the Financial Adviser, write off losses up to Rs.20,000 falling under category (a) and Rs. 10,000 for categories (b) and (c) below, -

(a) irrecoverable losses of stores or of public money due to theft, fraud or negligence;
(b) loss of revenue or irrecoverable loans and advances; and
(c) deficiencies and depreciation in the value of stores.

(2) The Commission shall take suitable action against the persons responsible for the loss and shall also send to the Government a detailed report together with the action taken against the persons, if any, responsible for the loss. The cases involving losses not exceeding Rs.5, 000 shall not be reported to the Government unless there are in any case important features which merit detailed investigation and consideration.

Exception: Nothing contained in this rule shall apply to losses occasioned by irrecoverable loans. Sanction of the Government shall be obtained before such losses are written off.

(3) The Commission, the Chief Executive Officer and any other officer duly authorised by the Commission may, after prior consultation with the Financial Adviser, write off losses up to an amount indicated below against each falling under any or all of the categories mentioned under sub-rule (1) above -

(a)	Commission	Up to Rs. 20,000
(b)	Chief Executive Officer	Up to Rs. 10,000
(c)	Any other officer, not below the rank of a Deputy Chief Executive Officer	Up to Rs.5,000

36. Custody of Common Seal.- The Common seal of the Commission shall remain in the custody of the Chief Executive Officer of the Commission.

CHAPTER VIII

STATISTICS, REPORTS AND RETURNS

37. Reports.- The annual report to be submitted by the Commission to the Government under sub-section (2) of section 24 of the Act regarding its activities during the previous financial year shall be submitted before 15th November every year and it shall be in such form as the Government may, from time to time, direct.

38. Periodical returns.- The Commission shall submit such periodical returns to the Government and to such other authority as it may specify. The returns shall be in such form as the Government may, from time to time, direct.

39. Power to obtain supplementary report or information.- Notwithstanding anything contained in rules 32 and 33 the Government may require special reports from the Commission and lay down the manner and the form in which such reports shall be made or may require from the Commission answers to questions upon which the Government may need information. The Government may also require the Commission to furnish a true copy of each or any contract, agreement, understanding or arrangement between the Commission and any other party.

[F. No. 4(26)/KVI-I]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.